प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक-19.07.2022

थाना ओबरा पुलिस द्वारा मुख्यमन्त्री किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मृतकों के परिजनों से ठगी करने वाली अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2022 को थाना ओबरा पुलिस द्वारा मुख्यमन्त्री किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मृतकों के परिजनों से ठगी करने से सम्बन्धित प्रकरण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 119/2022 व मु0अ0सं0-120/2022 धारा- 406, 419, 420 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्ता शकुन्तला पुत्री अलगू राम गुप्ता, निवासिनी तेलंग, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 32 वर्ष को गिरफ्तार कर अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया। अभियुक्ता का पूर्व में अपराधिक इतिहास भी रहा है जो निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1- शकुन्तला पुत्री अलगू राम गुप्ता, निवासिनी तेलंग, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 144/18 धारा 392 भादवि, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।

2- मु0अ0सं0 17/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना करमा , जनपद सोनभद्र।

3- मु0अ0सं0 74/18 धारा 323, 341, 389, 392, 506 भादवि, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

2- आरक्षी इमरान खांन, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

3- म0आरक्षी प्रीतू चौहान, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।